निर्णय ब इजलारा डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 95/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मोती लाल पुत्र श्री कल्याण, निवासी ग्राम धामरया, पोस्ट झाझावाड़, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. रामपाल पुत्र कालू,
3. राजपाल पुत्र नन्दा,
4. श्रवण पुत्र नन्दा,
5. मन्ना पुत्र नन्दा,
6. जगदीश पुत्र गोविन्दा,
7. गंगाधर पुत्र चन्दा,
8. सोहन पुत्र चंदा,
9. डूंगा राम पुत्र चंदा,
10. हरजी राम पुत्र चंदा,
11. विष्णु पुत्र हरसहाय,
12. प्रभू पुत्र लालूराम,
13. रामकिशोर पुत्र लालूराम,
14. शंकर पुत्र बद्री,
15. अर्जुन पुत्र बद्री,
16. लल्लूराम पुत्र रामधन,
17. रमेश चंद पुत्र किशना,
18. नरसी लाल पुत्र किशना,
19. लक्ष्मीनारायण पुत्र किशना,
20. दयाराम पुत्र रामनिवास,
21. राजेन्द्र पुत्र रामनिवास,
22. रामफूल पुत्र रामधन,
23. सीताराम पुत्र रामधन,
24. हरिनारायण पुत्र रामधन,
25. मान सिंह पुत्र रामधन,
26. रामचन्द्र पुत्र रतन लाल,
27. दीपक पुत्र रतन लाल,
28. कजोड़ पुत्र रामकवार,

जिला कलक्टर
जयपुर

29. रतिराम पुत्र रामकवार,
30. श्योनारायण पुत्र रूघनाथ,
31. नानगराम पुत्र रूघनाथ,
समस्त जाति मीणा, समस्त निवासियान ग्राम धामस्या, पोस्ट झाझवाड़, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
32. सरकार जरिये तहसीलदार, जमवारामगढ हाल आंधी, जिला जयपुर।
33. प्रहलाद पुत्र कल्याण,
34. श्रीनारायण पुत्र हरदेव,

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 260/2019 ब–उनवानी पांचू बनाम कल्याण व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री हनुमान सहाय शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 5, 8, 10, 13 से 15 एवं 19 से 21 की ओर से उपस्थित।

## निर्णय

दिनांक 09.03.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 260/2019 ब–उनवानी पांचू बनाम कल्याण व अन्य विचाराधीन है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 से 5, 8, 10, 13 से 15 एवं 19 से 21 की ओर से श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 रामपाल का पुत्र रामप्रसाद सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़ में कनिष्ठ लिपिक के पद पर सेवारत है, ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से साज व मिलीभगत करते हुए उनवानी वाद को अपने पक्ष में निर्णीत करवाने हेतु प्रयासरत है, जिस हेतु हर तारीख पेशी पर पीठासीन अधिकारी से उनके चेम्बर में संपर्क करके आता है। प्रार्थी विगत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, तब अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसका लड़का रामप्रसाद पीठासीन अधिकारी के चेम्बर से निकल कर बाहर आए तथा आते ही प्रार्थी को कहा कि मुकदमा हाजा में पीठासीन अधिकारी से हमारी बातचीत पक्की हो गई है तथा हमने कई राजनेताओं व एमएलए से पीठासीन अधिकारी को फोन करवा दिया है एवं

जिला कलक्टर
जयपुर

पीठासीन अधिकारी ने भी हमारे पक्ष में निर्णय करने के लिए हामी भर ली है। अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसके पुत्र के कथनों से यह भान हो गया है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के प्रलोभन एवं राजनैतिक दबाव में आ गए है। इस प्रकार प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 से 5, 8, 10, 13 से 15 एवं 19 से 21 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जा रहा है, अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner